भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

166158

1. भूमि का प्रकार– भूमि नॉन जैड. ए. आवासीय
2. वार्ड / परगना– आगरा
3. मोहल्ला– ग्राम लश्कर पुर मुहाल चौखे लाल पैमाईश नम्बर एक तहसील व जिला आगरा।
4. सम्पत्ति का विवरण– खुली नॉन जैड. ए भूमि मिनजुम्ला खेत संख्या 318 से 324 व 632 व 633 मुहाल चौखे लाल पैमाईश नम्बर ग्राम लश्कर पुर
5. मापन की ईकाई– वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल– 191.03
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)– लागू नहीं
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड / कार्नर आदि)–
   - कॉर्नर – नहीं
   - दो मार्ग – नहीं
   - पार्क फेसिंग – नहीं
   - मुख्य मार्ग – नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार– खुली जिमींदारी भूमि
10. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में)– लागू नहीं
11. कुल आवंटित क्षेत्रफल– लागू नहीं

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B/166159

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
MAY 2011
कोषागार, ...

FOR ... PVT LTD.

...G DIRECTOR

12. स्थिति– फिनिश्ड/सेमीफिनिश्ड/अन्य– लागू नहीं

13. पेड़ो का मूल्यॉकन– लागू नहीं

14. बोरिंग/कूआँ/अन्य– लागू नहीं

15. निर्मित क्षेत्रफल– लागू नहीं

16. निर्माण का वर्ष– लागू नहीं

17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है– नहीं

18. प्रतिफल की धनराशि– 365,000/– तीन लाख पैंसठ हजार रुपयों में

19. चौहद्दी–

दिशायें–	मापें–	सीमायें–
पूर्व–	80.46 मीटर	सम्पत्ति मैसर्स अपर्णा इन्फ्रा बिल्डर्स प्रा0 लिमिटेड क्रेता द्वितीयपक्ष
पश्चिम–	80.46 मीटर	अन्य सम्पत्ति मैसर्स सूर्या इन्फाबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
उत्तर–	3 मीटर	गली 3 मीटर चौड़ी। इस ओर निकास आदि इस भूमि के है।
दक्षिण–	2.3 मीटर	जायदाद अन्य व्यक्ति।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

(S. P. Singh)

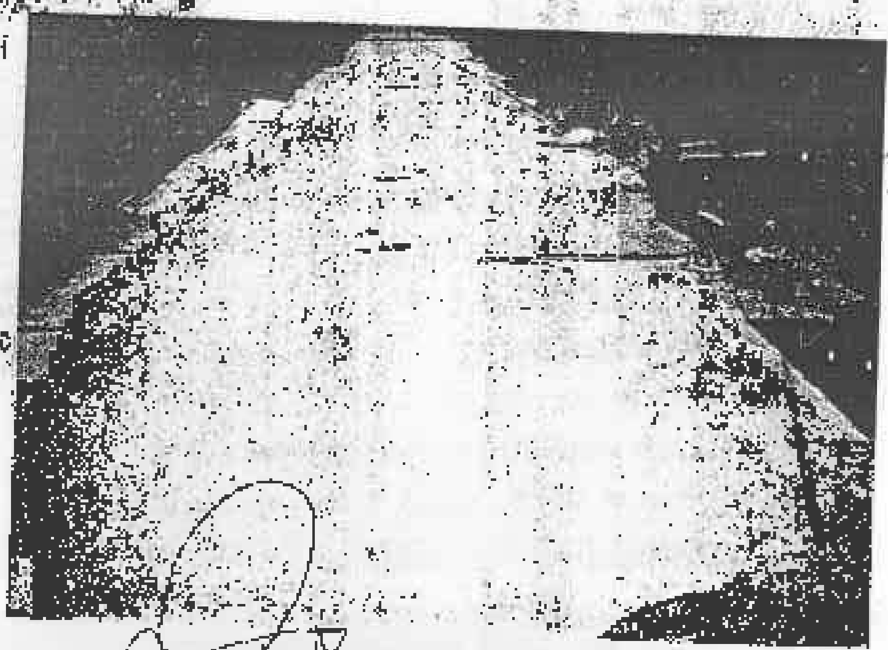

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 166160

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

DIRECTOR

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
12 MAY 2011
कोषागार, आगरा

प्रथमपक्ष की संख्या (एक), विक्रेता का विवरण—

1. नाम— मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री (भागीदारी अधिनियम वर्ष 1932 व उसके संशोधनों के अंतर्गत गठित एवं पंजीकृत भागीदारी फर्म, कि जिसका अंतिम संविधान द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 30/07/2003 के संशोधित हुआ है) पंजीकृत कार्यालय स्थित सुल्तानगंज आगरा द्वारा वर्तमान भागीदारगण—

   1.1 श्री नंद किशोर गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल निवासी 26/229, सुल्तान गंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय— व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी—147, सैक्टर—26, नोयडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 पृष्ठ संख्या 293 से 302 क्रमांक 94 बदफ्तर उप निबन्धक पंचम आगरा व

   1.2 श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल उक्त निवासिन 26/229, सुल्तान गंज, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय— व्यापार, द्वारा मुख्तार आम श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री केदार नाथ अग्रवाल वर्तमान निवासी डी—147, सैक्टर—26, नोयडा, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्तारनामा आम लेख दिनांक 23/11/2009 व निबन्धन दिनांक 23/11/2009 मुन्दर्जा बही संख्या 4 जिल्द संख्या 91 पृष्ठ संख्या 283 से 292 क्रमांक 93 बदफ्तर उप निबन्धक पंचम आगरा।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹ 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 166161

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
12 MAY 2011
कोषागार, लखनऊ

द्वितीयपक्ष की संख्या (एक), क्रेता का विवरण–

1. नाम– मैसर्स सूर्या इन्फाबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड (कम्पनीज अधिनियम वर्ष 1956 के प्राविधानो के अनुसार इनकॉरपोरेटेड कम्पनी, इनकॉरपोरेशन संख्या यू 45400 यूपी 2008 पीटीसी 035002 वर्ष 2008–2009, आर. ओ. सी. उ0 प्र0 एवं उत्तरांचल) पंजीकृत कार्यालय स्थित 18/160ए/1–सी, एम पी पुरा, ताजगंज, फतेहाबाद रोड, शहर आगरा द्वारा अधिकृत निदेशक एवं प्रतिनिधिगण–

   1.1 श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री हरीशचन्द्र निवासी 18/160ए/1सी, एम पी पुरा, ताजगंज, फतेहाबाद रोड, शहर आगरा, व्यवसाय–व्यापार व

   1.2 श्री विनोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम गोपाल गुप्ता निवासी ई–14/16, रश्मि नगर, कमला नगर, हरीपर्वत वार्ड शहर आगरा, व्यवसाय–व्यापार।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 980550

उ0 प्र0 स्टाम्प अधिनियम सन 1899 की अनुसूची 1-बी के आर्टीकल 23ए के अनुसार स्टाम्पित

– खुली जिमींदारी भूमि

– विक्रयपत्र तादादी 3,65,000/– तीन लाख पैंसठ हजार रुपया।

– एक किता खुली जिमींदारी भूमि मिनजुमला खेत संख्या 318 से 324 व 632 व 633 मुशाल चोखे लाल कब्जा नम्बर ग्राम लश्कर पुर आबादी दरीपर्दत वार्ड शहर आगरा क्षेत्रफल 181.03 वर्गमीटर, कि जो संलग्नक मानचित्र में लाल रंग से स्पष्ट रूप से दिखाई गई है और जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा जिसके चारों ओर 60 मीटर की त्रिज्या में नये–पुराने आवासीय भवन व खुले भूखण्ड हैं, मय कुल अधिकार मुतालिलका कि जिसकी नाप एवं सीमायें उपरोक्त दी गई हैं।

– कलक्टर आगरा के द्वारा जारी मूल्यांकन सूची के भाग 2 (क) (III) के पृष्ठ संख्या 18 के क्रमांक 6 के कॉलम संख्या 7 के अनुसार भूमि की दर 13,000/– रुपया प्रति वर्गमीटर घोषित की है।

– उक्त दर व वास्तविक विक्रयमूल्य के अनुसार स्टाम्प के लिये बाजारी मूल्य 23,54,000/– रुपया पर 5+2 कुल 7 प्रतिशत की दर से दिलमुबलग 1,65,000/– रुपया का स्टाम्प द्वितीयपक्ष ने अदा कर दिया है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.
MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 980551

विक्रयपत्र

हम कि –

1. मैसर्स बी सी आयरन फाउण्ड्री (पार्टनरशिप फर्म) उक्त – विक्रेता प्रथमपक्ष व
2. मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड उक्त – क्रेता द्वितीयपक्ष हैं।

विदित हो कि –

यह कि एक किता आराजी नॉन जैड. ए. स्थित ग्राम लश्कर पुर तहसील व जिला आगरा मुहाल चोखे लाल कब्जा नम्बर एक तादादी तीन बीघा चौदह बिस्वा, कि जिनका विवरण नीचे दिया गया है, की श्रीमती विद्यावती देवी मालिक व काबिज व जिमींदार थीं।

खसरा संख्या–	रकबा बिस्वा में
318	12
319	7
320	6
321	12
322	7
323	3
324	17
632	5
633	9
किता नौ	तीन बीघा चौदह बिस्वा
लगानी	रुपया 54/25 पैसे साल

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 980552

2. यह कि श्रीमती विद्यावती देवी ने उक्त आराजी को द्वारा पट्टापत्र लिखित श्रीमती विद्यावती देवी बहक लाo काशी नाथ पुत्र लाo राधा प्रसाद लेख दिनांक 08/04/1943 व निबन्धन दिनांक 21/08/1943 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द सं0 138 पृष्ठ 294 से 296 क्रमांक 2145 बदफ्तर उप निबन्धक आगरा के लाo काशीनाथ उक्त को सशर्त पट्टे पर दिया।

3. यह कि श्रीमती विद्यावती ने उक्त पट्टाशुदा भूमि का मालिकाना हकों को द्वारा विक्रयपत्र लिखित श्रीमती विद्यावती उक्त बहक लाo चानन लाल पुत्र लाo बाल मुकन्द अग्रवाल निवासी मोहल्ला भण्डारी कस्बा बटाला जिला गुरूदासपुर, पूर्वी पंजाब लेख दिनांक 23/12/1957 व निबन्धन दिनांक 27/12/1957 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 1401 पृष्ठ 219 से 222 क्रमांक 4976 व मुसन्ना क्रमांक 4977 बदफ्तर उप निबन्धक आगरा के उक्त लाo चानन लाल को विक्रय कर दिया।

4. यह कि उक्त पट्टाशुदा आराजी के मूल पट्टाधारक लाo काशी नाथ ने अपनी कुल आराजी पट्टाशुदा के समस्त पट्टे के अधिकारों को द्वारा विक्रयपत्र लिखित लाo काशी नाथ बहक लाo चानन लाल उक्त लेख दिनांक 10/12/1958 व निबन्धन दिनांक 16/12/1958 मुन्दर्जा बही संख्या 1 जिल्द संख्या 1467 पृष्ठ 16 से 20 क्रमांक 6130 व मुसन्ना क्रमांक 6131 से 6133 बदफ्तर उप निबन्धक आगरा के विक्रय कर दिया। इस प्रकार उक्त लाo चानन लाल उक्त कुल आराजी के एकमात्र मालिक बने।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 922435

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
02 MAY 2011
कोषागार, आगरा

यह कि उक्त ला0 बालमुकन्द अग्रवाल का संयुक्त कारोबार था। उनके चार पुत्रगण सर्वश्री घानन लाल व मनोहर लाल व धर्मपाल व केदार नाथ थे। ला0 घानन लाल ने उक्त भूमि को संयुक्त कारोबार के धन से क्रय किया था और उक्त भूमि के कुछ भाग पर निर्माण कराये, तदोपरान्त ला0 घानन लाल का नामांकन नगर निगम आगरा के अभिलेखों में दर्ज हो गया।

यह कि ला0 घानन लाल ने अपने पिता ला0 बाल मुकन्द अग्रवाल तथा अपने भाई ला0 केदार नाथ व उनके पुत्र श्री नंद किशोर पुत्र ला0 केदार नाथ एवं अपने पुत्र श्री राज कुमार को भागीदार बनाते हुये एक भागीदारी फर्म मैसर्स बी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री (बाल मुकन्द घानन लाल) का द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 22/03/1977 को गठन किया। फर्म के कारोबार का संचालन उक्त भूमि पर बने हुये उक्त भवन एवं शेष खाली भूमि पर किया जाता था क्योंकि बाल मुकन्द का कारोबार संयुक्त था, ला0 घानन लाल ने उक्त भूमि को अविभाजित हिन्दु परिवार के धन से क्रय किया था। अतः उक्त भूमि के स्वामित्व एवं फर्म मैसर्स बी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री के सम्बन्ध में पारिवारिक विवाद उत्पन्न हो गये, जिनके सम्बन्ध में एक दीवानी वाद संख्या 155/1979 न्यायालय सिविल जज आगरा (केदार नाथ बनाम घानन लाल) स्थापित हुआ, जिसके विरुद्ध एक सिविल रिवीजन संख्या 254/1980 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (केदार नाथ बनाम घानन लाल) स्थापित हुई। रिवीजन के दौरान पक्षकारों के मध्य इस आधार पर

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGER

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 922434

विद्याकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
02 MAY 2011
कोषागार, आगरा

समझौता हो गया कि पक्षकारो के मध्य उक्त जायदाद एवं फर्म मैसर्स बी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री के विवादों को मध्यस्थ के सुपुर्द कर दिया जाये। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04/1/1980 के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री जी0 एस0 माथुर को पक्षकारो के मध्य उत्पन्न विवादों का निस्तारण करने हेतु मध्यस्थ नियुक्त किया। इस मध्य ला0 चमन लाल का दिनांक 23/12/1980 को स्वर्गवास हो गया। मध्यस्थ के द्वारा दिनांक 20/03/1981 को अपना निर्णय (अवार्ड) पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय मे पक्षकारों ने आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं, परन्तु पक्षकारों के मध्य पुनः समझौता हो गया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने मूल वाद संख्या 155/1979 न्यायालय द्वितीय अपर सिविल जज आगरा (केदार नाथ बनाम चमन लाल) की पत्रावलि आदेश दिनांक 08/03/1984 के द्वारा स्वयं वाद का अंतिम निस्तारण करने के लिये उच्च न्यायालय में मँगा ली। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 09/03/1984 के द्वारा वाद संख्या 155/1979 को राजीनामा दिनांक 05/03/1984 के आधार पर अंतिमरूप से निर्णीत कर दिया और मध्यस्थ माननीय न्यायमूर्ति श्री जी0 सी0 माथुर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 20/03/1981 की पुष्टि की। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 05/03/1984 अंतिम हो चुका है। राजीनामा मे उपरोक्त जायदाद का स्वामित्व सभी पक्षकारों के द्वारा उक्त भागीदारी फर्म मैसर्स बी0 सी0 आयरन फाउण्ड्री आगरा का स्वीकार किया गया और ला0 चमन लाल

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 922433

के विधिक उत्तराधिकारीगण, जो उक्त फर्म के भागीदार थे, ने अपने हिस्से का रुपया लेकर उक्त फर्म से निवृत्त (रिटायर) हो गये। परिणाम स्वरूप उक्त फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री में केवल श्री केदार नाथ व श्री नंद किशोर भागीदार रह गये। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री की सम्पत्ति है और वह उसकी एकमात्र मालिक व काबिज व दखील है:

7 यह कि उक्त फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री के भागीदार ला० केदार नाथ की मृत्यु दिनांक 10/05/2003 को हो गई। अतः उक्त फर्म का संविधान स्वतः भंग हो गया। फर्म का कारोबार बंद हो चुका है। ला० केदार नाथ की अंतिम इच्छा के अनुसार एवं पारिवारिक व्यवस्था में उनके सभी उत्तराधिकारियों की सहमति पर उनके स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल उक्त फर्म की भागीदार बन गईं। इस सम्बन्ध में उक्त फर्म का संविधान द्वारा भागीदारीपत्र लेख दिनांक 31/07/2003 के द्वारा लिखा गया, जिसके अनुसार उक्त फर्म के केवल दो भागीदार श्री नंद किशोर एवं श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल है। यद्यपि उक्त फर्म का कारोबार बंद हो चुका है फिर भी पुराने कारोबार के कुछ देने–लेने आदि हैं।

8 यह कि उपरोक्त उक्त सीमांकित भूमि की उक्त प्रथमपक्ष फर्म मैसर्स बी० सी० आयरन फाउण्ड्री एकमात्र मालिक व काबिज है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD. FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

MANAGING DIRECTOR DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 982570

9. यह कि उक्त सम्पत्ति में अन्य कोई दावेदार आदि किसी भी प्रकार का नहीं है और उक्त सम्पत्ति आज तक प्रत्येक प्रकार के भार, विक्रय, दान, जमानत, सौदे आदि से सर्वथा स्वच्छ एवं मुक्त है और उसका कोई भाग नजूल या राजकीय आस्थान या धर्मार्थ आदि का नहीं है और न किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित किया गया है और न कोई प्रतिकर आदि प्रथम ने दावा किया है। उक्त सभी वर्णित विलेख मौजूद है और किसी भी आड़ या जमानत आदि में नहीं दिये गये हैं।

10. यह कि द्वितीयपक्ष श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल एवं श्री नन्द किशोर अग्रवाल, कि जो उक्त विक्रेता द्वितीयपक्ष मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री के संवैधानिकरूप से भागीदार हैं, स्व० ला० केदार नाथ अग्रवाल के प्राकृतिक उत्तराधिकारीगण हैं। ला० केदार नाथ अग्रवाल की अंतिम इच्छा के अनुसार उनके समस्त उत्तराधिकारीगण के उक्त पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार ला० केदार नाथ अग्रवाल की उक्त भागीदारी फर्म में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल मालिक व दावेदार बनीं और अन्य उत्तराधिकारीगण का कोई हक या दावा आदि न तो स्थापित हुआ और न माना गया और उक्त फर्म में ला० केदार नाथ अग्रवाल के स्थान पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कैलाशवंती अग्रवाल भागीदार बन चुकी हैं। इस सम्बन्ध में ला० केदार नाथ अग्रवाल के उत्तराधिकारियों के मध्य पारिवारिक बंटवारा प्रभाव में आ चुका है जिसके सम्बन्ध में एक

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH S 982571

विधुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
09 MAY 2011
[illegible]

पृतिपत्र भी उनके मध्य लिखा जा चुका है और विभिन्न विक्रयपत्रों में ला० केदार नाथ के अन्य उत्तराधिकारिगण उक्त द्वितीयपक्ष के स्वामित्व को पुष्टित कर चुके हैं।

11. यह कि उक्त भूमि बहुत ही संकरी पट्टी के रूप में है और मौके की जो स्थिति है वह संलग्नक फोटो से स्पष्ट है तथा द्वितीयपक्ष की अन्य सम्पत्ति से सटी हुई है और उसके लिये ही उपयोगी है।

12. यह कि उक्त भूमि से प्रथमपक्ष को कोई लाभ नहीं है और निष्प्रयोजित होने के कारण प्रथमपक्ष ने एकमत से यह सुनिश्चित किया है कि उक्त भूमि को बाजार में अधिक से अधिक मूल्य पर विक्रय कर दिया जाये और इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किये जाने पर वर्तमान में केवल केता द्वितीयपक्ष अपनी संलग्नक सम्पत्ति के विस्तार के लिये सबसे अधिक मूल्य देने के लिये तैयार हो गये हैं। वर्तमान परिस्थितियों में इससे अधिक कीमत प्राप्त होना सम्भव नहीं है। अतः हम प्रथमपक्ष उक्त सीमांकित भूमि को केता द्वितीयपक्ष के पक्ष में विक्रय करने के लिये तैयार हैं।

13. यह कि उक्त सभी मुख्तारनामे बाजाब्ता निष्पादित एवं निबन्धित हुये हैं और आज तक कायम व बरकरार हैं और उनसे किसी भी अधिकार आदि मे कोई कमी नहीं हुई है और उनके निष्पादकगण जीवित हैं।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 982572

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
09 MAY 2011
कोषागार, कानपुर

अतः प्रथमपक्ष ने स्वेच्छा तथा प्रसन्नतापूर्वक स्वस्थ चित्त मन बुद्धि से बिना बहकाये सिखाये दबाव नाजायज के खूब सोच समझकर उक्त फ्रीहोल्ड भूमि मिनजुमला खेत संख्या 318 व 331 व 632 व 633 ग्राम लश्कर पुर क्षेत्रफल 161.03 वर्गमीटर, कि जो संलग्नक नजरीनक्शा में लाल रंग से दिखाया गया है, को समस्त स्वत्व व अधिकार व हित व लाभ व नामांतरण के अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी अधिकार आदि के बाजारी कीमत से बिलमुक्ता बएवज 3,65,000/– तीन लाख पैंसठ हजार रुपया कि आधे जिसके 1,82,500/– एक लाख बयासी हजार पाँच सौ रुपया होते हैं बदस्त मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, सकत क्रेता द्वितीयपक्ष, के गुड विल के साथ बैय कतई किया और बेच दिया।

<u>विक्रय संविदा इस प्रकार है –</u>

1. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया इस विक्रयपत्र के निष्पादन से पूर्व नीचे लिखे विवरणानुसार क्रेता द्वितीयपक्ष से प्राप्त करके मुजरा दिया। इस तरह विक्रेता प्रथमपक्ष को कोई रुपया पाना बाकी नहीं है और न भविष्य होगा।
2. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष ने विक्रीत भूमि पर से अपना कब्जा व दखल हटा लिया और क्रेता द्वितीयपक्ष का कब्जा व दखल बेची गई भूमि पर सीमाओं के अनुसार करा दिया और द्वितीयपक्ष को विक्रीत भूमि का पूर्णतः मालिक व काबिज बना दिया तथा गुड विल दे दिया। द्वितीयपक्ष ने उक्त भूमि को अपनी अन्य सम्पत्ति में मिलाकर एकजान कर लिया।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 982414

3. यह कि विक्रेता प्रथमपक्ष के स्थान पर अब क्रेता द्वितीयपक्ष उक्त विक्रीत भूमि के अकेले पूर्णतः मालिक व काबिज हो गये।

4. यह कि अब क्रेता द्वितीयपक्ष को पूरा अधिकार है कि वह उक्त विक्रीत भूमि से बहैसियत मालिक व काबिज के चाहे जैसे लाभ उठावे; रहन, विक्रय आदि करें। अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे। निर्माण, नव–निर्माण आदि करावें और चाहे जिस प्रकार इस्तेमाल में लावें अथवा जो चाहे सो करें।

5. यह कि क्रेता द्वितीयपक्ष विक्रीत भूमि पर अपना नामांकन सम्बन्धित विभागों में करालें, विक्रेता प्रथमपक्ष अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

6. यह कि आज तक के बकाया लगान / कर आदि, यदि कोई होंगे, तो उन्हें प्रथमपक्ष अदा करेंगे और आज के बाद के क्रेता द्वितीयपक्ष अदा करेंगे।

7. यह कि यदि भविष्य में कभी कोई दावेदार किसी भी प्रकार का उक्त विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा क्रेता द्वितीयपक्ष से करे और उसके कारण या किसी भी विक्रेता के डिफेक्टिव टाइटिल से या उनकी किसी गलत बयानी के कारण या विक्रीत भूमि पर पहले से कोई भार या चार्ज आदि पाये जाने के कारण या इस विक्रय या विक्रयपत्र में कोई डिफेक्ट पाये जाने के कारण कब्जा या दखल या स्वामित्व पूर्ण या आंशिक रूप से उक्त बेची गई भूमि का द्वितीयपक्ष से निकल जावे तो उन कुल की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदा करना जरे समन का मय सूद व हर्जा व खर्चा के बजिम्मे

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 982415

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
09 MAY 2011
कोषागार, बागपत

[illegible]ात खास व जायदाद हरकिस्म विक्रेता व उनके समस्त उत्तराधिकारियों के है और आयन्दा होगा और इसमें विक्रेता व उनके सभी उत्तराधिकारियों को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. यह कि इस विक्रय व विक्रयपत्र को सम्पूर्णता प्रदान करने के लिये यदि किसी विलेख, शपथपत्र आदि के निष्पादन, निबन्धन आदि की आवश्यकता होगी तो क्रेता द्वितीयपक्ष की माँग व खर्चे पर विक्रेता प्रथमपक्ष निष्पादित व निबन्धित करने के लिये बाध्य हैं और रहेंगे।

9. यह कि इस विक्रयपत्र का कुल खर्चा क्रेता द्वितीयपक्ष के जिम्मे है; यह मूल विक्रयपत्र क्रेता द्वितीयपक्ष के पास रहेगा। प्रथमपक्ष ने अपनी विधिक आवश्यकताओं के लिये इस विक्रयपत्र की फोटोस्टेट प्राप्त कर ली है।

10 यह कि विक्रेता ने उक्त कागजात की प्रमाणित छायाप्रतियाँ क्रेता द्वितीयपक्ष को सुपुर्द कर दी है।

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 **Rs.5000**

पाँच हज़ार रुपये **FIVE THOUSAND RUPEES**

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 982416

9 MAY 2011

1. [illegible] कि हम पक्षों के स्थाई आयकर लेखा संख्या निम्नलिखित हैं :–

मैसर्स बी. सी. आयरन फाउण्ड्री	A	A	B	F	B	3	9	3	1	A
मैसर्स सूर्या इन्फाबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	A	A	M	C	S	3	9	6	3	R

2. यह कि प्रथमपक्ष ने कीमत का कुल रुपया द्वितीयपक्ष से नीचे लिखे चैक के द्वारा प्राप्त किये–

चैक सं0	दिनांक–	तादादी–	बैंक
762332	16/05/2011	3,85,000/–	पंजाब नेशनल बैंक बेलन गंज आगरा
	कुल योग 3,85,000/– तीन लाख पैंसठ हजार रुपया मात्र।		

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD.

DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 982166

अतः यह विक्रयपत्र हम पक्षों ने स्वेच्छा से निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये। लेख दिनांक 17 सत्रह माह मई वर्ष 2011 ईस्वी। प्रारूप– हनुमान प्रसाद कौशल दस्तावेज लेखक, सदर तहसील जिला आगरा पक्षकारों के निर्देशानुसार तैयार किया जिससे संतुष्ट होकर पक्षकारों ने इसे नीचे लिखे साक्षियों के समक्ष निष्पादित किया।

दस्तावेज लेखक हनुमान प्रसाद कौशल
अनुज्ञप्ति सं० ... सदर तिथि ...
जिला और स्थायी-आगरा
की गई फीस ...
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर
PAN ABAPK-1576-F

हस्ताक्षर अजय कुमार अग्रवाल बहैसियत मुख्तार विभजरिये श्री नंद किशोर गोयल एवं श्रीमती कैलाशवती अग्रवाल भागीदार मैसर्स श्री. सी. ... विक्रेता प्रथमपक्ष –

....

हस्ताक्षर प्रमोद कुमार अधिकृत निदेशक मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड क्रेता–

....

हस्ताक्षर ... कुमार गुप्ता ... मैसर्स सूर्या इन्फ्राबिल्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड क्रेता–

....

गवाह श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...

गवाह श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR

स्टाम्प विक्रय की तिथि ________

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ___ बैनामा ___

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ________ मै० सूर्या इन्फ्रा बिल्ड (प्रा०) प्रा० लि० आगरा द्वारा डायरेक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल

स्टाम्प की धनराशि ___ 5000 ___

अरुण कौशल
स्टाम्प [illegible] 37
लाइसेंस [illegible] 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

आज दिनांक 01/06/2011 को

बही सं 1 जिल्द सं 7385

पृष्ठ सं 25 से 60 पर क्रमांक 2759

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजेन्द्र प्रसाद
उपनिबन्धक (प्रथम)
आगरा सदर
1/6/2011

SITE PLAN OF PLOT, SITUATED AT MADIYA KATRA, TAJGANJ WARD, AGRA, KH. N. 318

HAKI PARAT

SELLER: M/S G.C. IRON FOUNDRY

PURCHASER: SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

(SHOWN IN RED COLOUR)

TRUE COPY

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT LTD

MANAGING DIRECTOR

FOR SURYA INFRABUILD (I) PVT. LTD.

DIRECTOR